



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कार्यालय
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश, भोपाल
http://www.wakfbordmp.gov.in

JABALPUR
Division

क्र. /नं. क. 339/13/वक्फ बोर्ड/वार्ड 10. NO. 7218 / दिनांक 13.08.2013
सुबिपोर D. NO. 7380/

प्रति,

श्री कमरुल इस्लाम डाकूम सिक्कर खान अध्यक्ष
वक्फ मजिस्ट्रेट पठानी मोहल्ला ग्राम. कंठगी- जबलपुर
निवासी: हुसैन गाँव पार्ड नं. 11 कंठगी. जिला. जबलपुर

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड का गठन हुसैन मोहल्ला ग्राम. कंठगी जिला. जबलपुर में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत निर्वाचन के लिए आयोजित वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुताबली के रूप में आपका नाम म.प्र. वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 का धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक भी आवधिक म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ का चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबलियों के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न - एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

ole

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट / 4 नस्ती क्र. 69 डिमाण्ड नोटिस सन् 72/8 जावक नं. दिनांक 13.08.13
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. केवल 120274 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2009-10 से लगायत साल 2010-11 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	7012	7013				184400/-	11/100	19978/-		
						24200/-		101396/-		
								10376/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. सूचक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7214/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सफिपोर D.NO. 7359/-

प्रति,

श्री सं. कमर उल्लेख/साहब अहमद वक्फ (जागादा मुस्लिम कब्रस्तान)
गल गला निवासी सिंदी घाट शांता दारा दार
जबलपुर (गो.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 5 नस्ती क्र. 148 51 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक 5286/30-05-2013

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : स. कमरुद्दीन सा. अहमद पक्का, लायलाद मुस्लिम क्वार्टर, जालाला - जिपासो सिंधी धर्मशाला - चंदा घर (जालपुर (क.प्र.))

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व दर्ज आय 21,477/-

केवल 21,477/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2012-013 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012-2013	-	-	-	-	308900/-	4%	21623/-		148 51
						(कुल मांग)		146/-		
								21,477/-		
								21,500/-		
						रसीद नं. 1156/12	(-)			
						29-7-013				
								NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7215/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
रजिस्ट्रार-कोट- D.NO. 7360/-

प्रति,

श्री लियाकत डाला डाला से. सुरशीर डाला डाला
ततक रतन काह निजामिया डाला चौक निजामी 263/ मरा
मोहल्ला (जबलपुर (ज.प्र.))

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट

नस्ती क्र.

50

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

अने लियाकत इलाहाबाद मं. रकुरशीद इलाहाबाद

वक्फ रवाना का निलमिया मज्जार इलाहाबाद निलमिया 263/ नया मोहल्ला

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	15,45,00/-	4%	1,08,15/-		1/50

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7216 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
2-सुपुर्कोट-D.NO. 7361 /-

प्रति,

श्री गताब अहमद आर जहागीर मुतवल्ली
तत्ता, मस्जिद जहागीराबाद
जालपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट

4

नस्ती क्र. 36

डिमाण्ड नोटिस

2012-013

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री नवाब रहमत गार (जहागीर - मुतवल्ली)

वक्फ मारफि जहागीरवाद जालकपुर (मोहोर)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व दर्ज हुआ हुआ

केवल 10,500/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 1986-87 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-013	-	-	-	1,50,000/-	71	10,500/-		A/c 36
नोट : चन्दा निगरानी के लिए दफा 72 (1) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।										

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7217/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
2-सुबकोट D.NO. 7362 /

प्रति,

श्री शेख बाबु इल्हाज गारहूम जिला बशीर उद्दारा
पुर्वत सौगति वक्फ मस्जिद रुद्रा वरुण जिल्ला 930 बड़ी जोगिता.रि
जिल्ला (नवलपुर (गठन प्र))

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आइट 4 नस्ती क्र. 24 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री शीख बालू इमाम श्री मरहूम हाजी बशीर सादत

पक्ष समिति वक्फ आरजे 2961 वरुदा निवासी 930 बरी झोमरी- 21421- जबलपुर

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबत किबुला

केवल 36863/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2010-011 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	2,40,900/-	7%	16863/-		4/25
						20000/-				
						कुल मांग -		36863/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7218/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्वा.पो.नं.-D.No. 7363/-

प्रति,

श्री रमल्लूत खं. डालगल मुजाह खं. आसिफ कंठगी
निवासी पट्टनी मोहल्ला ताई जं. कंठगी तहसील पाहल
जिला. जबलपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 4

नस्ती क्र. 69

डिमाण्ड नोटिस

2012-013

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री रामचन्द्र खोन्डा के अन्तर्गत मसाजिद कटंगी नं. 9

मोहल्ला वाड नं. 9 कटंगी तहसील पारन कि. जबलपुर (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

प्राप्त किया गया पत्र अगस्त 2

केवल 120374/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2009-10 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	135200/-	7%	12978/-		8/ 69
						पूरा किया		107396/-		
						कुल अंश		120374/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान को जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7219/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुबियोट-D.NO. 7364/-

प्रति,

श्री मामूर अहमद खान इला गिहफूज अहमद अदगाश
प्रबंध मजिद तत्प दस्तगी गुल्मि गुसफिर खाना
जबलपुर (मठ प्रभु)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 1012 से 1013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

शाखा ऑडिट 5 नस्ती क्र. 44 ताल केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 2012-013 7009/27-07-2013
डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री मामूर अहमद अहमद हानि-मेहफूज अहमद मेहताक्ष
प्रबन्ध समिति तक्क दस्तकी मुस्लिम मुफाफिर खाना - जबलपुर (मध्य)
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबात डेबुयार
केवल 58887/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	49,8100/-	71	34867/-		A/c 44
						पूर्व राशि		24020/-		
								58887/-		
			सलगे 19	रसीद क्र. 17/10						
				दिनांक 22.3.2013						

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7220/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुप्रीम कोर्ट D.NO. 7365/-

प्रति,

श्री मशहूर हजफा जालर मशहूर हजफा
पं. मशहूर हजफा, निवासी इलाहाबाद, उद्दालपुर (मि.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

रजि. क्र. 37/286

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4

नस्ति क्र. 38

डिमाण्ड नोटिस 2012-2013 सन

जावक 6827 दिनांक 16/07/13

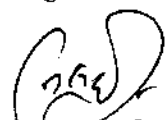
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जनाब मशकूर हनफी आ० मेहफूजुल बारी अध्यक्ष प्रबंध समिति वक्फ अंजुमन इस्लामियां मढ़ाताल जबलपुर जिला जबलपुर हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हो हिसाबात अनुसार केवल 1,81,930/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर भेजें और हिसाबात साल से लगायत भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
वक्फ अंजुमन इस्लामियां मढ़ाताल जबलपुर जिला जबलपुर		2012-13	2,17,31,357 / -	1,91,32,390	25,98,958 / -	25,99,000 / -	7%	1,81,930 / -		A/C 38
							कुल मांग	1,81,930 / -		
								1000000/-		
								81,930/-		

दीगर रिमार्क्स के लिये अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।


हस्ता. वलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

%



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल
http://www.wakfbordmp.gov.in

क्र. /नं. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड

दिनांक 13.08.2013

सुबि फोल्ड D.NO. 7373 /

प्रति,

श्री डॉ. अहमद मुतावल्ली वक्फ (जामा मस्जिद)
इन्हले हद्दीस इंदौर रोड (जबलपुर)
(जामा मस्जिद, इफ्तिा सिरर 207/1, इंदौर रोड) (जबलपुर)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड का गठन होने की व्यवस्था हो जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपकी द्वारा वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का नाम है। अतः वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 1986-87 से 2012-13 तक की कार्यवाही म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं कीये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट / नस्ती क्र. डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेंटी नय पता :

 महल हउस नगर देव (जिला गुरु जवासी) जामा मस्जिद
 हिंसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 59152/ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीत

भेजे और हिंसाबात साल 1986-87 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिंसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
महल हउस नगर देव (जिला गुरु जवासी) जामा मस्जिद		2012 2013				600000/-	7/-	42000/-		A/c 2
						59152/-		17152/-		
								59152/-		

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

 मुख्य कार्यपालन अधिक
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत)
मानव कल्याण विपर या कृ. मसजिद, भोपाल, मध्य प्रदेश
Website: <http://wqfboardmpechillanet.org>

क्र. /नं. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड /D.No. 7205/- भोपाल दिनांक 13.08.2013
स्वीड पोस्ट D.No 7377/-

प्रति,

श्री डा. अहमद अहमद खान कतना
सहायक मुख्य अधिकारी (प्रशासन) कतना
जिला कतना (म.प्र.)

इसद्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड का गठन होने की व्यवस्था हो जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड के आगदनी वाले वक्फों के मुताबिलियों में से एक मुताबिली का नाम डा. अहमद अहमद खान वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वक्फ बोर्ड में नामांकन को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी वार्षिक वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अंतर्गत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबिली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्धार्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे,

भोपाल 427504-05-2013

शाखा आडिट 4

नस्ती क्र. 14

डिमाण्ड नोटिस

सन् 2012-013

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतबल्ली कमेटी मय पता :

अबुल क़ासिम अहमद वक्फ अजार् इमरान बाबा (कस्तूर)

करने) कार्यालय : अजुमन इस्लामिया स्कूल आसकींग जिला गिरिद्वारा के सामने
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व दर्ज आग निगुरान

केवल 55748/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल - से लगायत साल - भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	510700/-	41	35748/-		
						पूर्व शिल		19999/-		
						(कुल मांग)		55748 =		

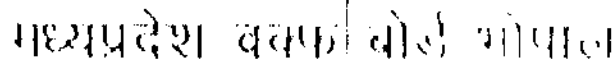
दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

(7/5/13)
हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



66. <http://www.ubuntu.com>
 67. <http://www.debian.org>
 68. <http://www.gentoo.org>
 69. <http://www.slackware.com>
 70. <http://www.suse.com>
 71. <http://www.redhat.com>
 72. <http://www.fedora.com>
 73. <http://www.centos.com>
 74. <http://www.oracle.com>
 75. <http://www.ibm.com>
 76. <http://www.hp.com>
 77. <http://www.dell.com>
 78. <http://www.lenovo.com>
 79. <http://www.asus.com>
 80. <http://www.acer.com>
 81. <http://www.samsung.com>
 82. <http://www.sony.com>
 83. <http://www.fujitsu.com>
 84. <http://www.hp.com>
 85. <http://www.dell.com>
 86. <http://www.lenovo.com>
 87. <http://www.asus.com>
 88. <http://www.acer.com>
 89. <http://www.samsung.com>
 90. <http://www.sony.com>
 91. <http://www.fujitsu.com>
 92. <http://www.hp.com>
 93. <http://www.dell.com>
 94. <http://www.lenovo.com>
 95. <http://www.asus.com>
 96. <http://www.acer.com>
 97. <http://www.samsung.com>
 98. <http://www.sony.com>
 99. <http://www.fujitsu.com>
 100. <http://www.hp.com>
 101. <http://www.dell.com>
 102. <http://www.lenovo.com>
 103. <http://www.asus.com>
 104. <http://www.acer.com>
 105. <http://www.samsung.com>
 106. <http://www.sony.com>
 107. <http://www.fujitsu.com>
 108. <http://www.hp.com>
 109. <http://www.dell.com>
 110. <http://www.lenovo.com>
 111. <http://www.asus.com>
 112. <http://www.acer.com>
 113. <http://www.samsung.com>
 114. <http://www.sony.com>
 115. <http://www.fujitsu.com>
 116. <http://www.hp.com>
 117. <http://www.dell.com>
 118. <http://www.lenovo.com>
 119. <http://www.asus.com>
 120. <http://www.acer.com>
 121. <http://www.samsung.com>
 122. <http://www.sony.com>
 123. <http://www.fujitsu.com>
 124. <http://www.hp.com>
 125. <http://www.dell.com>
 126. <http://www.lenovo.com>
 127. <http://www.asus.com>
 128. <http://www.acer.com>
 129. <http://www.samsung.com>
 130. <http://www.sony.com>
 131. <http://www.fujitsu.com>
 132. <http://www.hp.com>
 133. <http://www.dell.com>
 134. <http://www.lenovo.com>
 135. <http://www.asus.com>
 136. <http://www.acer.com>
 137. <http://www.samsung.com>
 138. <http://www.sony.com>
 139. <http://www.fujitsu.com>
 140. <http://www.hp.com>
 141. <http://www.dell.com>
 142. <http://www.lenovo.com>
 143. <http://www.asus.com>
 144. <http://www.acer.com>
 145. <http://www.samsung.com>
 146. <http://www.sony.com>
 147. <http://www.fujitsu.com>
 148. <http://www.hp.com>
 149. <http://www.dell.com>
 150. <http://www.lenovo.com>
 151. <http://www.asus.com>
 152. <http://www.acer.com>
 153. <http://www.samsung.com>
 154. <http://www.sony.com>
 155. <http://www.fujitsu.com>
 156. <http://www.hp.com>
 157. <http://www.dell.com>
 158. <http://www.lenovo.com>
 159. <http://www.asus.com>
 160. <http://www.acer.com>
 161. <http://www.samsung.com>
 162. <http://www.sony.com>
 163. <http://www.fujitsu.com>
 164. <http://www.hp.com>
 165. <http://www.dell.com>
 166. <http://www.lenovo.com>
 167. <http://www.asus.com>
 168. <http://www.acer.com>
 169. <http://www.samsung.com>
 170. <http://www.sony.com>
 171. <http://www.fujitsu.com>
 172. <http://www.hp.com>
 173. <http://www.dell.com>
 174. <http://www.lenovo.com>
 175. <http://www.asus.com>
 176. <http://www.acer.com>
 177. <http://www.samsung.com>
 178. <http://www.sony.com>
 179. <http://www.fujitsu.com>
 180. <http://www.hp.com>
 181. <http://www.dell.com>
 182. <http://www.lenovo.com>
 183. <http://www.asus.com>
 184. <http://www.acer.com>
 185. <http://www.samsung.com>
 186. <http://www.sony.com>
 187. <http://www.fujitsu.com>
 188. <http://www.hp.com>
 189. <http://www.dell.com>
 190. <http://www.lenovo.com>
 191. <http://www.asus.com>
 192. <http://www.acer.com>
 193. <http://www.samsung.com>
 194. <http://www.sony.com>
 195. <http://www.fujitsu.com>
 196. <http://www.hp.com>
 197. <http://www.dell.com>
 198. <http://www.lenovo.com>
 199. <http://www.asus.com>
 200. <http://www.acer.com>
 201. <http://www.samsung.com>
 202. <http://www.sony.com>
 203. <http://www.fujitsu.com>
 204. <http://www.hp.com>
 205. <http://www.dell.com>
 206. <http://www.lenovo.com>
 207. <http://www.asus.com><

प्रति,

श्री अनुविभागीय अधिकारी करना.
वक्त मर्मा दीनयात दूर करनी
फिला. करनी (मठ मठ)

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

केवल 7147 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल _____ से लगायत साल _____ भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	101900/- पूर्व शिख कुल माता	7/1	7133/- 14/1 <u>7147 = 0</u> 7147 = 0 <u>NIL.</u>		
					2 स 4 क 1036/11 31-5-013 पे 3 क 277765 27.5.013					

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत
जमा करायी जाय वक्फ चंदा निगरानी बोर्ड
ई मेल: mp_wakfbord@gmail.com

क्र. /नं. क. 339/13/ वी.स. गव.नं./वी.स. /D.NO. 7231/- ग.स. दिनांक 13.08.2013

स्वीड कोड D.NO. 7379/-

प्रति,

श्री बीरस मारदार मालूरी आलम अस दिलदार अदगक्ष
वक्फ ईरफ़ूज़ग़ ख़ुलासिया करकी
मियाली: जेम्स बिल्डिंग विवेकगंद वाड लखेरा - करकी (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड का गठन हुये श्री कायदा की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत वक्फ चंदा निगरानी बोर्ड का गठन करने वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुताबल्ला का नाम है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक बजट व हिसाबात को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 का धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी वार्षिक वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अंतर्गत वक्फ का चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वार्षिक बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबल्लियों के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्वोग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडि 4 नस्ती क्र. 19/8 डिमाण्ड नोटिस सन् 4272/04-05-2013 दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : हाजी मन्जुल कट्टुवा 240 वक्फ जेजुमन इलाहिया

कलन) इश्वरी पुरा वाई मिशन चौक कलन) (मोहा)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व आय डेजुलार

केवल 20591/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	8,18,200/-	7%	57274/-		7/10
						पूर्व शेष		1,43,317/-		
						(कुल मांग)		200591 = w		
						24.5.10/11 (-)		15664 = w		
						24.5.013		184927 = w		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7206/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्पाउटपोल-D.NO. 7351/-

प्रति,

श्री महमूद मीर आलम अल्लुल फादर अल्लुल खान
समिति वक्फ जामा मस्जिद फर्रुखी गिदारी तिल्ल
कई कन्देली जिला. नगरसिंहपुर (अ.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 64/4/03-07-2013
शाखा अडिट 4 नस्ती क्र. 4 डिमाण्ड नोटिस 2012-2013 सन् जावक नं. दिनांक
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : (अ) नई मुतवल्ली कमेटी नि. कार. अहमदाबाद प्रान्त एजि. पत्ता
(जामा मस्जिद कमेटी, किल्ला, तिमरुवाड कमेटी, जिला. वरसिकपुर (ब.प्र.))
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व 2012-2013

केवल रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 2009-10 से लगायत साल 2012-2013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	135200/-	7%	9464/-		A/C 4
						किल्ला कमेटी (-)		1166/-		
						किल्ला कमेटी		20000/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. बलक

हस्ता. ईंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7207 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्वा. फा. ड. न. 7352/-

प्रति,

श्री मुलाब अहमद कुरैशी तत्कालीन अधिकारी
कसाई मंडी कटेली जिला नरसिंहपुर
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबिलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निलंबित माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 7 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

कमल अंगी कमेटी (मुतवल्ली) जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 27765/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 08-09 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	107900/-	4%	7553/-		A/c 7
						27765/-				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. बिलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7208/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुपुस पोस्ट-D.NO. 7353/-

प्रति,

श्री शरीफुल्लाह खां सम्राट् शरीफुल्लाह खां वकील शरीफुल्लाह खां महाराष्ट्र
नवाब जामा मस्जिद करली जिलासी राम चार्ज करली
जिल्ला नरसिंहपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

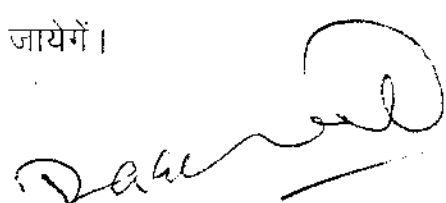
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मुसाजिद के पीछे, भोपाल 2012-013 6416/03-07-2013
शाखा औडिट 4 नस्ती क्र. 6 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं दिनांक
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : कौ. हाली गिाव समी डा. हाली वली आ. ड. हाथक्ष वक्फ जाग

मस्जिद करेली निवाही रामवाड करेली जिला गरसिलंधुर (मध्य)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

हिसाबात डेक्का 2

केवल — रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल — भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	121200/-	7%	8484/-		A/c 6
						— फुल्लिगन (—)		9300/-		
						— फुल्लिगन (—)		816/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 72/2 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

2-11/5 पोस्टर D.NO. 7357/-

प्रति,

श्री मेरा कुशीन 8/2 वडा कुशीन
जामा मस्जिद वडा कुशीन
मुस्लिम मस्जिद जामा मस्जिद
जिला दिवरावाडा (मो प्र)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7209/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
2485 पोट-ए D.NO. 7354/-

प्रति,

श्री डा. फुल अली खां वक्फ (जागह) डिप्टी मजिस्ट्रेट
जामा मस्जिद सरफाद
जिला- मितवा (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

4

नस्ती क्र. 3

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) बक्क एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली क्रमेटी मय पता :

ॐ श्रीः श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गोमा मीठो, अलु, चुरा, चिनी (२००)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पू. वि. वि. वि. वि. वि.

केवल 17967 रुपये निर्धारित किया गया चन्द्रा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2011-012 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	256800/-	7%	17967/-		A/C 3

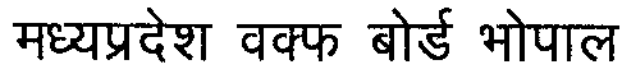
दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगजारी की सुरत में वसूल की जाएगी।

हस्ताक्षर

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7210/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

श्री गुरुदेव उमादे उफे बाबा जीइ वल्लभ आसिन्दि व
ईदग्राह दारि आला पाई सिक्का
जिला. सिक्का (५० प्र)

8

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा अडिट 4 नस्ती क्र. 11 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री. इमदुल कमील उर्फ बाबा साइब वक्फ मस्जिद न
इदगाह धर्मशाला बाई सिकरी (क.स.स.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 14000/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 1987-80 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012 2013		-	-	-	100000/-	10%	70000/-		A/c "
						80000/-		80000/-		
						20000/-		20000/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7211/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
2485 पाले-D.No. 7356/-

प्रति,

श्री अब्दुल इलीम खान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड आफिस
(इलीम) काजी काई सिवनी जिला हासनगर
वाई. जिला सिवनी (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 15 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता: श्री 3 जालीम जंग अदवाला वक्फ बोर्ड (अहले हदीस)

काजी वासु लिक्वोर निगरानी निगम लि. (मध्य)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व हिसाबगत इनकम

केवल _____ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल _____ भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	300000/-	-	-	379300/-	7%	26551/-		1/15

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. ईंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO 7200 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्मार्टफोन D.NO. 7347/-

प्रति,

श्री उमरा बेगम आलम मिजा मोहम्मद बेगम अहमद
पुष्पा लक्ष्मी वक्फ जिम्मा अफिदे वारा खिली
जिल्ला. पार्ड ग. 10 पारा खिली. पिल्ले बाकाशाह (ग. 5)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 का धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2011-012 से 2012-013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 14 नस्ती क्र. 16 डिमाण्ड नोटिस 2012-2013 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी का नाम : श्री इमलीस बेरा इलाहाबाद जिला मे बेरा इमलीस प्रबन्ध समिति

वक्फ (जामा मस्जिद) वारा सिवनी जिलासी वाई.नं. 10 वारा सिवनी जिलासी वाई.नं. 11

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 5265/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 01-01-2012 से लगायत साल 01-01-2013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	245100/-	5%	17199/-		1/16
						5265/-		35456/-		
								52655/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कर्षक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



(a) Der erste Ableitung von z nach x ist $z'_x = 2x + 2y$.
 (b) Der erste Ableitung von z nach y ist $z'_y = 2x + 2y$.
 (c) Der zweite Ableitung von z nach x ist $z''_{xx} = 2$.
 (d) Der zweite Ableitung von z nach y ist $z''_{yy} = 2$.
 (e) Der gemischte Ableitung von z nach x und y ist $z''_{xy} = 2$.

प्रति,

श्री अफसर कुरशा आलगन अजीम कुरशा अदालत प्रबंध समिति
उत्तर अंगुल इलाकिया जाला बरि जिला बाकाधार
जिवानी तारी नं- 01 अंगोली जाला बरि बाकाधार

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मप्र. चक्क बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को

बचक अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबाल
वर्ष 2012 से 2013 तक की कार्यवाही का बचक बोर्ड को प्रस्तुत नहीं
किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबाना, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

भेजे और हिसाबत साल 2012-013 से लगायत साल _____ भी अन्दर 15 दिनों में भेजें। _____

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012 2013	-	-	-	-	132100/-	4%	12783/-		A/c 20
						पूर्व बिल		129/-		
						(कुल राशि)		129187/-		

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अंदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

मल. ४५
हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7202/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

2495 फा एर-D.NO. 7349/-

प्रति,

श्री कादर रजा आत्मज मरहूम गफूर खाख खैराबाद
प्रबंध समिति उर्दू मंत्र इस्लामिक बालाहात लिबरी कद नं. 15
गोली भीरुला बालाहात (गठ प्रो)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

(1) 2008-09 रसीद क्र. 1306 20000 = w
12-8-09

(2) 2009-10 रसीद क्र. 1939/20 20000 = w
18-4-011

(3) 2010-011 रसीद क्र. 55/04 109103 = w
01-3-012

(4) 2011-012 रसीद क्र. 07/06 8239 = w
17-5-012

(5) 2012-012 रसीद क्र. 57/9 20000 = w
04-2-013

प्राप्त चंदा (ठिठारानि) → 87342 = w



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7203/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्वीडपोलर D.NO. 7350/-

प्रति,

श्री मोहम्मद इमरान अली खान खुर मोहम्मद अहमद
प्रबन्ध समिति अजुमन इस्लामिया लांजी जिल्हा कोल्हापूर
निवस्ती: ताई नं. 12 छाम ठांव रोड लांजी

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा क्रेडिट 4 नस्ती क्र. 19 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री श्री ००० आदिल आत्मज नूर श्री ००० मिहयक्ष प्रबंध समिति
अंधुमन इलाकिया लांजा जिला. बालाघाट निवासी- वर्ड नं. 12 इमामगांव रोड लांजा
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिस्सावात डाकुसार (म.प्र.)

केवल 14234/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	203100/- पूर्व जोड़ा	71	14217/- 17/-		4/19
								14234=w		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7259 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुप्रीमकोर्ट-D.NO. 7384 /-

प्रति,

श्री ~~महोदय~~ ~~महोदय~~ ~~महोदय~~
~~महोदय~~ ~~महोदय~~ ~~महोदय~~
~~महोदय~~ ~~महोदय~~ ~~महोदय~~ (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012-13 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से नियोग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट I

नस्ती क्र. 3/4

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री कलशित आ. सारी मुतवल्ली राफ मरिजा रासीन

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 91764/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2014-15 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजे।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2011-2012	-	-	-	291200/-	11	20734/-	-	
		2012-2013	-	-	-	291200/-	11	20734/-	-	
								41168/-	-	
								50296/-	-	
								91764/-	-	

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

5/8/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7258 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुपडिफोल्ड D.NO. 7383 /

प्रति,

श्री ~~.....~~
.....
.....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

or

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 10-04-2013

शाखा आडिट नस्ती क्र. डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3292

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री वक्फ निगरानी की वहीग लाकर उद्देश्य कोटिद्वारा

निम्न नामों को देखा जा रहा है कि वे निम्न निम्न (कम्प्यूट)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व वर्ष का वक्फ

केवल 9766/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		12-12				992700/-	7%	69503/-		
		12-13						28151/-		
								9766/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 21/01/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7257/-भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुबिपोलर-D.NO. 7382 /-

प्रति,

श्री महोदय

महोदय

महोदय

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

MC

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 815 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक 11-06-2013
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री सफर हुसैन उरगानी केहगल गतिनाद व
मालाद गिरादीन आह गेविका टोरी इरना रीता म.प्र.
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. एक सप्ताह के भीतर
केवल 14677/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 8 / 1 से लगायत साल 8 / 8 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	5,51,252/-	3,50,203/-	2,01,049/-	2,01,049/-	7%	1,42,804 - 397/-		
								14677/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.NO. 7256 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुधपोल D.NO. 7381 /-

प्रति,

श्री 377/2013/...

...

...

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताज़ुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 33/7/10-04-2012

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

~~$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$~~

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. _____

केवल 8806/ रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2010-11 से लगायत साल 2015-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें। _____

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	1296194/-	1/1 -	9058/- 2521/-		
						3018185/-		8806/-	-	

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 21/4/12

हस्ता. इंचारज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल